

प्रेषक,

डी०के० सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बैसिक)
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 28 जूली 2011

विषय: "निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009" की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किये जाने संबंधी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र रांख्या-शि०नि०बे०/डी०ई०-१९३/२०११-१२, दिनांक 27-५-२०११ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सभ्यक विद्यारोपरान्त 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' की धारा 21 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है। इस समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में किया जायेगा, जो निम्नवत् होगी:-

- विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन उसकी अधिकारिता में
गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में
किया जायेगा एवं प्रत्येक दो वर्ष में इस समिति ने
पुनर्गठन किया जायेगा।
- (2) विद्यालय प्रबन्ध समिति में 15 सदस्य होंगे जिनमें से
11 सदस्य बालकों के माता-पिता अथवा रांक्षक होंगे।
परन्तु समिति के 50 प्रतिशत सदस्य महिलायें होंगी।
- (3) विद्यालय प्रबन्ध समिति के अवशेष 04 सदस्यों में
निम्न व्यक्ति होंगे अर्थात्:-

(क) शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-2(एच) में यथा सन्दर्भ रथानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदरयों में से एक सदस्य, का विनिश्चय रथानीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा;

(ख) एक सदस्य सहायक नर्स एवं मिड्लाईफ (ए०एन०एम०) में से, लिया जायेगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक लेखपाल;

(घ) एक सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम् अध्यापक।

होगा, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(4) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों में एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमज़ोर वर्ग के बालक के माता-पिता अथवा संरक्षक समिलित होंगे।

(5) विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा:

सदस्यों के चयन हेतु आम सदस्यों (माता-पिता/संरक्षक) की बैठक प्रधान अध्यापक द्वारा आहूत की जायेगी। विद्यालय प्रबन्ध समिति के संरक्षक/सदस्य का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जायेगा परन्तु विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के न्यूनतम एक बच्चे का माता-पिता/संरक्षक समिति में अवश्य समिलित होगा। सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा के लिए एक माता-पिता/संरक्षक का चयन किया जायेगा। तत्पश्चात् शेष सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में चयन उन सदस्यों का होगा, जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक हों। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में सहायक बैसिक शिक्षा अधिकारी उपरिथित होकर निराकरण करायेंगे।

(6) विद्यालय प्रबन्ध समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबन्धन हेतु माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी;

(7) विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक माह में न्यूनतम एक बार अवश्य होगी और बैठकों का कार्यवृत्त तथा विनिश्चय उचित प्रकार से अभिलिखित किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा।

विद्यालय प्रबन्ध समिति के कार्य

(8) विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण, विद्यालय विकास योजना का निर्माण एवं उसकी संस्तुति तथा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य श्रोतों से प्राप्त अनुदान के सदुपयोग के अनुश्रवण के साथ ही निम्नलिखित कृत्यों का भी निष्पादन करेगी, जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य-समूहों का गठन कर सकती है-

(क) सरल एवं रचनात्मक तरीके से अधिनियम गे प्रतिपादित बालक के अधिकार एवं माता-पिता एवं संरक्षक, स्थानीय प्राधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा कर्तव्यों के विषय में विद्यालय के आसपास की आवादी को अवगत कराना;

(ख) धारा 24 के खण्ड (क) एवं (ड) तथा धारा 28 के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह सुनिश्चित करना कि विद्यालय के अध्यापकगण विद्यालय में उपरिथत होने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाये रखें, संरक्षकों एवं माता-पिता के साथ नियमित बैठकें करें और बालक की निरन्तर उपस्थिति, सीखने की क्षमता, सीखने में की गयी प्रगति और अन्य कोई प्रासांगिक सूचना के बारे में अवगत करायें और यह कि कोई अध्यापक निजी ट्यूशन या निजी अध्यापन में लिप्त नहीं है;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के कार्यान्वयन हेतु यह अनुश्रवण करना कि अध्यापकों पर दसवार्षीकी आवादी जनगणना, आपदा राहत कर्तव्यों अथवा यथारिथति रथानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मंडल अथवा रांसद के निर्वाचन सम्बन्धी कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य किसी गैर शैक्षणिक कर्तव्यों का भार न डाला जाये;

(घ) विद्यालय में आस-पास के सभी बालकों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(ङ.) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिभानों एवं मानकों के रखरखाव का अनुश्रवण करना;

(च) बालक के अधिकारों के किसी भी अपसरण से, विशेष रूप से बालकों का मानसिक एवं भौतिक उत्पीड़न, प्रवेश देने से इंकार और धारा 3 (2) के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के सम्बन्धान्तर्गत उपयन्त्र को रथानीय प्राधिकारियों के संज्ञान में लाना;

(छ) जहाँ किसी बालक की आयु छः वर्ष रो अधिक है और उसे किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वहाँ उसके आयु-संगत अधिगम स्तर हेतु आवश्यकताओं का चिह्नांकन, योजना तैयार करना और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों का चिह्नांकन एवं नामांकन तथा विद्यार्जन के लिए उनकी सुविधाओं और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने का अनुश्रवण करना;

(झ) विद्यालय में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उसकी राम्रद्वि रुनिश्चित करना;

(झ) विद्यालय की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।

(9) विद्यालय प्रबन्ध समिति को अधिनियम के अधीन आपने

कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पूर्धक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक रांपरीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) उपनियम (9) में निर्दिष्ट लेखों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उनके तैयार होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

विद्यालय विकास योजना की तैयारी

विद्यालय प्रबन्ध समिति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम से कम तीन माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। यह विकास योजना तीन वर्षीय होगी। इन तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग उपर्योजना भी दबाएँ जायेगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्ययोजना या निर्माण भी होगा। इस विकास योजना में प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राकल्लन (इस्टीमेट) किया जायेगा और उसी के आधार पर कक्षा 1-5 तक तथा कक्षा 6-8 तक अतिरिक्त अध्यापक/प्रधानाध्यापकों की आवश्यकता का आंकलन भी किया जायेगा। इसके साथ अतिरिक्त अवसंरचना तथा उपरकर आदि की भौतिक आवश्यकताओं का भी प्राकल्लन कर तीन वर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों की आवश्यकताओं के अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकतायें यथा आयु-संगत कक्षा में प्रविष्ट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आदि उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वित्तीय आवश्यकताओं का आंकलन कर योजना में समावेश किया जायेगा। विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य-सचिव द्वारा यह विकास योजना हस्ताक्षरित की जायेगी और राक्षम रत्न राम राम्बन्धित प्राधिकारियों के पास इसे प्रस्तुत किया जायेगा।

उपर्युक्त के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निदेशक शिक्षा (बिसिक) आवश्यक निर्देश प्रशारित करेंगे। समस्त मण्डलीय, जनपदीय और विकासखण्ड से राम्बन्धित शिक्षा अधिकारी विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन 31 जुलाई, 2011 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायेंगे। तदन्तर वर्णित कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्यान्वय द्वारा इस समिति का प्रशिक्षण 30 रितम्बर तक केन्द्रीकृत मोड में दी0आर0सी0 रत्न पर सुनिश्चित कराया जायेगा। इसके पूर्व यह आवश्यक होगा कि रिसोस परसन, मारटर ट्रेनर तथा साहित्य एस0सी0ई0आर0टी0 द्वारा तैयार करा लिया जाए। यह प्रशिक्षण मार्च्यूल 15 जुलाई तक अवश्य

तैयार करा लिया जाए तथा 15 जून से 15 जुलाई के गम्भीर
रिसोर्स प्रसंसन का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए राथ ही
31 जुलाई तक ग्रास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण जनपद के जिला
शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान रत्नपुर पर सुनिश्चित किया
जायेगा। निदेशक एस०सी०इ०आर०टी०० तदनुसार आवश्यक
तैयारी कराने की कार्यवाही करेंगे।

2... कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

इन्द्र

डी०क० सिंह
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना
परिषद, लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०
लखनऊ।
3. समरत जिलाधिकारी, उ० प्र०।
4. समरत सहायक मण्डलीय शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला वैरिक शिक्षा
अधिकारी, उ० प्र०।
5. गार्ड फाइल।

आङ्गा से,

(इन्द्रसिंह)

अनुसन्धित।

२४